न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– सुश्री अंजु शर्मा ,आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या– 11/2020 प्रार्थना पत्र   दिनांक 06.12.2021

अनवान

मोतीलाल पिता किशोर जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मदनपुरा तहसील भदेसर

..........प्रार्थी

बनाम

1. रतनलाल पिता शंकरलाल जाट उम्र वयस्क निवासी मोखमपुरा तहसील भदेसर
2. गीताबाई पत्नि शंकरलाल जाट उम्र वयस्क निवासी गुढा तहसील भदेसर
3. नाथू पिता गमेरा जाट उम्र वयस्क निवासी मदनपुरा तहसील भदेसर
4. वरदीबाई पत्नि नाथू जाट उम्र वयस्क निवासी मदनपुरा तहसील भदेसर
5. भेरा पिता मोडा जाट उम्र वयस्क निवासी मदनपुरा तहसील भदेसर
6. उदयराम पिता वरदा जाट उम्र वयस्क निवासी मदनपुरा तहसील भदेसर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भदेसर जिला चित्तौडगढ़ (राज)

———विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,

उपस्थित :– श्री मोहम्मद रईस वकील प्रार्थी

हस्तगत प्रार्थना के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जोडी गई नवीन धारा 251–ए के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया –

कि मौजा मदनपुरा, पटवार हल्का बागुण्ड तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ के खाता संख्या 57 में अंकित आराजी नम्बर 29 रकबा 0.89 हैक्टेयर आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज होकर प्रार्थी आरजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजीयात को प्रार्थी ने विपक्षीगण से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया तभी से प्रार्थी काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात के पास ही विपक्षीगण की आराजी नं. 22 रकबा 0.05 हैक्टेयर व आराजी नं. 23 आ.चा. [illegible] 0.06 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर स्थित है ओर इसी आराजीयात से प्रार्थी अपनी आराजीयात पर आता जाता रहा है। ओर अपने मवेशी,बैलगाडी एवं कृषि उपकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

लाता ले जाता रहा है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास उक्त आराजीयात पर जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। लेकिन विपक्षीगण के मन में बदनियति आ जाने के कारण प्रार्थी को उसकी आराजीयात के उपयोग उपभोग से वंचित करने की नियत से विपक्षीगण ने उनकी आराजी नम्बर 22 रकबा 0.05 हैक्टेयर एवं आराजी नं. 23 आ0चा0 रकबा 0.06 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ तारबंदी कर दी है। जिससे प्रार्थी अपनी आराजीयात पर नहीं जा पा रहा है। वर्तमान में बरसात का मौसम आ गया है। प्रार्थी को अपनी आराजीयात की हकाई जुताई कर बुवाई करनी हे परंतु विपक्षीगण द्वारा उनकी आराजीयात के चारो तरफ तारबंदी कर दिये जाने से प्रार्थी अपनी आराजीयात पर जाकर हकाई जुताई साफ–सफाई आदि नहीं कर पा रहा हे। इसलिये प्रार्थी को उसकी आराजीयात में आने जाने के लिये बेलगाडी,ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिये सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार विपक्षीगण की आराजीयात में रास्ता कायम कराया जाकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज कराया जाना न्याय हित में आवश्यक है। इस हेतु प्रार्थी सरकार द्वारा निर्धारित डीएलसी दर से रास्ते की भूमि की कीमत भी अदा करने को तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की ग्राम मदनपुरा प0ह0 बागुण्ड के खाता सं. 57 पर दर्ज आराजी नं0 29 रकबा 0.89 हैक्टेयर में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आ0नं0 22 रकबा 0.05 हैक्टेयर एवं आराजी नं. 23 आ0चा0 रकबा 0.06 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर में से सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार रास्ता प्रार्थी को डीएलसी दर से कीमत लेकर दिलाया जावे एवं रास्ते की भूमि के आराजी नम्बर अंकित कर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। बावजूद सूचना अनुपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा मौका कमीशनरी रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2020/183 दिनांक 21.02.2021 से तैयार कर प्रस्तुत की गई जो इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज आराजी नं. [illegible] पर पहुँचने हेतु प्रस्तावित रास्ता आराजी नं. 22 एवं 23 जो कि सोहनी [illegible]लाल, नाथू पिता गमेरा के नाम दर्ज है जिसमें से 4 मीटर चौडा एवं 40 मीटर लम्बाई कुल 160 वर्गमीटर भूमि प्रस्तावित किया जाना उचित है जिसे नजरी नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है। प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

की आराजी तक रास्ते में प्रयुक्त होने वाली कुल भूमि 160 वर्गमीटर की डी0एल0सी0 की दुगुनी राशि जमा कराने पर रास्ता दर्ज किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई। लायक अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कोई रिर्कोडेड मार्ग नहीं है तथा विपक्षीगण की आराजीयात में से कदीम से आ जा रहें है इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थीगण की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कदीमी मार्ग को रास्ता के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं कमीशनरी रिपोर्ट का अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 29 पर पहुंच मार्ग हेतु रिर्कोडेड मार्ग उपलब्ध नहीं होना प्रमाणित है तथा इस आराजीयात पर पहुंचने हेतु मार्ग का अभाव होने से विपक्षीगण की आराजी नम्बर 22 रकबा 0.05 हैक्टेयर एवं आराजी नं. 23 आ0चा0 रकबा 0.06 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर में से होकर जाने का विकल्प के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है प्रार्थी आवागमन हेतु वास्तविक स्थाई रास्ता चाहते है।

प्रस्तुत कमीशनरी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थिगण की जोत पर पंहुच मार्ग का अभाव होना पूर्णतया साबित है। राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक पं.2 (63) राज.9/20.14 जयपुर दिनांक 20–9–2014 एवं परिपत्र कमांक प.3(52) राज.6/2012/4 जयपुर दिनांक 14–1–2014 के अनुसरण में संबंधित खातेदार को अपनी आराजीयात /खेतों पर पहुंच के लिए रास्ता गुजरता है या नवीन रास्ता प्रस्तावित है तो रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत समर्पण किया जाकर रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई भूमि पडती है तो खातेदार अपनी जोत तक नया मार्ग कायमी हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में प्रावधान किया गया है । खातेदार की जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव होने की स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2014 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि की दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रद्वत्त किया जाने के प्रावधान किये गये हैं। चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की आराजी नम्बर 29 पर पहुंचने के लिए विपक्षीगण आराजी नम्बर 22 रकबा 0.05

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

हैक्टेयर एवं आराजी नं. 23 आ0चा0 रकबा 0.06 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर में से 40*4= 160 वर्गमीटर भूमि जो रिपोर्ट में **जो नजरी नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित की गई** है पर प्रार्थी की आराजी नम्बर 29 तक कुल 160 वर्गमीटर भूमि का रास्ते हेतु उपयोग होना कमीशनरी रिपोर्ट में मार्ग प्रस्तावित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251–ए निम्न शर्तो के अध्यधीन स्वीकार किया जाता है –

1. ग्राम मदनपुरा प0ह0 बागुण्ड की आराजी संख्या 29 रकबा 0.89 हैक्टैयर भूमि पर रेकोर्डेड मार्ग नहीं होकर पहुच मार्ग का अभाव होने से वैकल्पिक मार्ग के रूप में उक्त आराजी के पडोस की विपक्षीगण आराजी नम्बर 22 रकबा 0.05 हैक्टेयर एवं आराजी नं. 23 आ0चा0 रकबा 0.06 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर में से 40*4= 160 वर्गमीटर भूमि कमीशनरी रिपोर्ट अनुसार अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।
2. रास्ता हेतु रास्ते हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि का वर्तमान प्रचलित बाजार (रूपये प्रति एयर से)कीमत मूल्याकंन की राशि प्रार्थी से वसूल कर हितबद्ध खातेदारान् को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में नियमानुसार संदाय किये जाने के उपरान्त ही उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल किया जा सकेगा।
3. रास्ता हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि पर प्रार्थी का एकाधिकार नहीं होकर सार्वजनिक हितार्थ होगा तथा इस संबंध में प्रार्थीगण को रास्ते की भूमि के स्वामित्व के अधिकार प्रोद्भूत नहीं होगें।

निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को उक्तानुसार रास्ते हेतु भूमि का वर्तमान प्रचलित बाजार (रूपये प्रति एयर से)कीमत मूल्याकंन की दुगुनी राशि प्रार्थी से वसूल कर हितबद्ध खातेदारान् को क्षतिपूर्ति हेतु वसूल कराकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:14 IST
Reason: SelfAttested

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,

Scanned with CamScanner